जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक-28.06.2025

प्रेस नोट

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा व निशादेही पर मृतक का मोबाइल फोन बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 22.06.2025 को थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत जय जवान जय किसान इण्टर कालेज मुण्डेट के बराबर वाले रास्ते पर उदयवीर पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम मुण्डेट के ज्वार के खेत की दीवार के बराबर मे एक अज्ञात पुरूष का शव पडे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर शव को बाद पंचायतनामा कार्यवाही के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। बाद पोस्टमार्टम शव को शिनाख्त हेतु मोर्चरी मे रखा गया था। दिनांक 24.06.2025 को राजकिरण व रवि पुत्रगण राजेन्द्र निवासी मौ0 रामसागर थाना कोतवाली शामली ने अज्ञात शव की पहचान अपने पिता राजेन्द्र पुत्र रहतुराम निवासी मौहल्ला रामसागर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली उम्र 65 वर्ष के रुप मे की गई थी, जिसके पश्चात शव को परिजनो के सुपुर्द कर नियमानुसार अन्तिम संस्कार कराया गया। मृतक राजेन्द्र के पुत्र रविकान्त द्वारा दिनांक 27.06.2025 को एक लिखित तहरीर थाना आदर्श मण्डी पर अपने पिता राजेन्द्र की हत्या अजीत पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मुण्डेट कला थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के द्वारा करने व शव को घास मे छिपा देने के सम्बन्ध मे दी जिसके आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे गिरफ्तारी वांछित/वारन्टी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा व निशादेही पर मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। थाना आदर्शमंडी पर गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त अजीत उर्फ जीतू ने पूछने पर बताया कि मृतक राजेन्द्र कुमार पुत्र रहतुराम निवासी मौहल्ला रामसागर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली का हमारे गांव के श्रवण पुत्र धर्मवीर के घर आना जाना था और मेरा भी श्रवण के घर आना जाना था। जब मै श्रवण के घर आता जाता था तो राजेन्द्र मेरे साथ बदतमीजी करता था और घर जाने से रोकता था जिसको लेकर मेरी पहले भी कहासुनी हो गयी थी। श्रवण के घर आने जाने एवं श्रवण की पत्नि से बात करने को लेकर मेरी व राजेन्द्र की रंजिश रहने लगी। दिनांक 20/06/2025 को मैने राजेन्द्र के मोबाइल पर रात को अपने फोन से बात की और दावत पर आने को कहा क्योकि राजेन्द्र शराब पीने का शौकीन था और उसको सांस की बीमारी भी थी। राजेन्द्र के कहने पर मैने अपनी ई रिक्शा से मौहल्ला रामसागर से राजेन्द्र को अपने साथ ले लिया था। इसके बाद मैने शराब के दो पव्वे और खरीदे तथा एक पव्वा मेरे पास पहले से ही था। राजेन्द्र ने पहले से भी शराब पी रखी थी और शराब के साथ कुछ खाने को खरीदा था और हम ग्राम मुन्डेट से होते हुऐ जय जवान जय किसान स्कूल के बराबर वाले रोड से स्कूल के पीछे रोड पर ई रिक्शा खडी कर शराब पीने लगे और मैने अधिकतर शराब राजेन्द्र को पिला दी थी। अधिक नशा होने पर मारने के लिए मैने राजेन्द्र को ई रिक्शा से नीचे गिरा दिया और राजेन्द्र के नीचे गिरने पर उसको दबा दिया था।

राजेन्द्र सांस की बीमारी होने व ज्यादा शराब पीने के कारण हिचकी लेने लगा तथा 05-06 हिचकी लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी। फिर मैने मृतक राजेन्द्र को पलट कर दीवार की तरफ घास में कर दिया था तथा कुछ घास उखाडकर मृतक राजेन्द्र के ऊपर डालकर ढककर छिपा दिया था और मृतक राजेन्द्र का मोबाईल जो की- पैड नीले रंग का था, उसका सिम निकालकर तोड दिया तथा मोबाइल को अपने साथ ले गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>-

1.अजीत उर्फ जीतू पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मुण्डेट कला थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1.घटना मे प्रयुक्त ई रिक्शा रजि न0- UP19AT 4362।

2.मृतक राजेन्द्र का मोबाइल फोन सैमसंग की पैड बरामद।

जिला न्यायधीश शामली, पुलिस अधीक्षक शामली व अपर जिलाधिकारी शामली द्वारा जनपद मु0नगर स्थित जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 28.06.2025 को जिला न्यायधीश शामली श्री इंदर प्रीत सिंह जोश, पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम व अपर जिलाधिकारी शामली श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा जनपद मुज़फ्फरनगर स्थित जिला कारागार में महिला व पुरूष जेल बैरिकों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के बैरिको में कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नही हुई। इस के अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान जेल में बंद महिला/पुरूष कैदियों के लिए बने जिला कारागार के भोजनालय, चिकित्सा व्यवस्था हेतु अस्पताल, पुस्तकालय तथा कैदियों के रहने हेतु बने बैरकों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु जिला कारागार के अधिकारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महिला/पुरूष बंदियों को स्वस्थ रहने हेतु योग करने तथा सजा पूर्ण कर चुके बंदियों की रिहाई पर उन्हें आगामी जीवन मे अच्छे आचरण व मधूर व्यवहार रखने की सलाह दी गई। इस निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा, जेल अधीक्षक मु0नगर श्री अभिषेक चौधरी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 08 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 28.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 08 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सावन पुत्र श्रवण बावरिया निवासी ग्राम खानपुर कला थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 218/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 312/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 08 लीटर कच्ची शराब।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 28.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आसिफ पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला काशीराम कालोनी कस्बा जलालाबाद व थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 चाकू।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कैड़ी बस स्टैण्ड पर ऑटो चालक के साथ जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर मारपीट, गाली गलौच करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 05.05.2025 को श्री रविन्द्र पुत्र रामशरण निवासी ग्राम कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली (ऑटो चालक) के साथ अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये मारपीट, गाली गलौच की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री रविन्द्र उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 28.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कैड़ी बस स्टैण्ड पर ऑटो चालक के साथ जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर मारपीट, गाली गलौच करने की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राहुल कश्यप पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>“आपरेशन क्लीन” अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित माल का विनिष्टीकरण थाना कोतवाली शामली के मालखाने में रखी माल मुकदमाती के 328 अभियोगों से सम्बन्धित अवैध शराब के मालो को नष्ट कराये जाने के सम्बनध मेः-</u>

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द चौहान व पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन में थाना कैराना पर मुकदमों से सम्बन्धित मालखाने में रखी माल मुकदमाती शराब को नष्ट कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा आदेश निर्गत किये गए थे। उक्त क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को उप जिला मजिस्ट्रेट शामली द्वारा नामित श्री गौरव कुमार नायब तहसीलदार शामली व क्षेत्राधिकारी कैराना श्री अमरदीप मौर्य व श्री उतेश कुमार जौहर अभियोजन अधिकारी शामली व आबकारी निरीक्षक श्री हेमन्त पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शामली श्री वीरन्द्र कसाना की मौजूदगी में उक्त 328 अभियोगों से सम्बन्धित मालो को नष्ट कराया गया। जिसमे उपरोक्त मालो को थाना परिसर में खाली स्थान पर नियमानुसार जे.सी.बी के माध्यम से गढडा खुदवाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की गयी तथा मालों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गयी।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 8050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2002 में अभियुक्त खालिद पुत्र महबूब निवासी परासौली थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 422/2002 धारा 5/8 गौवध व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 1050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

2.- वर्ष 2010 में अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम छपरेडी थाना रामपुर मनिहारण जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 130/2010 धारा 379/411 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2018 में अभियुक्त मनोज पुत्र कंवरपाल सैन निवासी आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0स0 1128/2018 धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को माननीय न्यायालय एसीजे/जेडी/जेएम कैराना को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>